

## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN:U40109RJ2000SGC016486

पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

Website: www.jaipurdiscom.com

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.)

पुराना पावर हाऊस, राम मन्दिर के पास, बनीपार्क जयपुर

(फोन नं. 0141-2200334, फैक्स नं. 0141- 2202241)

E-Mail : sere@jvvnI.org

क्र. जे.पी.डी./अति.मु.अ.(पी.पी.एम) /अधी.अभि.(आर.ई)/ अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 783 जयपुर

दि 14.9.18

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शन के स्थान परिवर्तन के संबंध में।

किसान संगठनों की मांग है कि कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 15.2 के तहत नाम परिवर्तन के पश्चात स्थानान्तरण की 2 वर्ष की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जावे।


कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 15.2 में यह प्रावधान है कि "एक बार स्थानान्तरण होने अथवा नाम बदलवाने के पश्चात् कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण निम्नानुसार होगा:-

- (1) वर्तमान स्थान पर नाम बदलवाने पर स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा, किन्तु पिता की मृत्यु होने पर उसके वारीसों के नाम फोती नामान्तरण होने पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण कर दिया जाएगा।
- (2) वर्तमान आवेदक/उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में एक बार स्थान परिवर्तन के पश्चात् पुनः स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा।

अतः किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि कनेक्शन नीति- 2017 के बिन्दु संख्या 15.2 को निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है:-

"वर्तमान आवेदक/उपभोक्ता व नाम परिवर्तित आवेदक/ उपभोक्ता का कृषि कनेक्शन, कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में किसी भी कारण से एक बार स्थानान्तरित कर दिया जावेगा परन्तु उसी कनेक्शन को पुनः स्थानान्तरित 2 वर्ष तक नहीं किया जायेगा। "

उक्त आदेश तीनों विद्युत कम्पनियों पर लागू होंगे।

 14/9/18

(वी.डी. बंसल)

अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम./ट्रे.सेफटी एण्ड क्यु.सी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर /भरतपुर/कोटा।
5. अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर डिस्कॉम,.....
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
7. प्राव. सहा. -प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर/जोधपुर।
8. निजी सहायक-निदेशक (तकनीकी/वित्त), जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
9. प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, (रामबाग सर्किल), जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी (R&C/FM-W&M/IA), सलाहकार (ए.टी.आर.) जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम।
12. सचिव (प्रशासन), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।



अति. मुख्य अभियन्ता (पी.पी.एम.)  
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

18/9/18